

माननीय न्यायालय श्रीमान राजश्वर मंडल न्यायालय केम्प भीपाल म०प०
=====

124

पुनःस्थापन - 6478/2018/भीपाल/अ.र. प्र०क्र०:-निग०/4463/2018/भीपाल

मुन्नालाल यादव
आत्मज स्वर्गीय मुन्नालाल यादव
निवासी ग्राम लाउखेडी तहसील
हजूर जिलाभीपाल म०प०

----- आवेदक
वि०

श्री न्यायालय
अ.र. प्र०क्र०
13-12-18
8/09

प्रदीप दुबे
निवासी-पंचवटी कालोनी एअरपोर्ट
रोड भीपाल म०प०

----- अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-35(3) म०प० मू०रा०संहिता 1959
=====

आवेदक की और से निम्ननिवेदनैक :-

- § 1§ यह कि आवेदक एवं अनावेदक के विरुद्ध एक निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसमें आज दिनांक 13-12-18 को पेशी नियत थी ।
- § 2§ यह कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष दोपहर 12.30 बजे के करीब उपस्थित हो गया था किन्तु उसके अधिवक्ता आज दिनांक को भीपाल से बाहर होने के कारण वह उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए ।
- § 3§ यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर उक्त प्रकरण आज दिनांक को ही निरस्त कर दिया है । जिसमें आवेदक की कोई भी गलती नहीं थी ।
- § 4§ यह कि आवेदक उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर स्थापित कराना चाहते हैं अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर स्थापित कर उसकी पुनः सुनवाई किए जानेके आदेश प्रदान करें जो कि न्यायहित में होगा ।

भीपाल
दिनांक:- 13/12/2018

(Signature)

आवेदक

(Signature)

§ मुन्नालाल यादव §
द्वारा-



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

7

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:पुनस्थापन -6478/2018/भोपाल/भू-रा.....

तहसील:

जिला:भोपाल....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का
प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण
क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण
क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :निगरानी/4463/2018/भोपाल/भूरा,.....

वाद का विषय:पुनस्थापन

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत
प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला.... भोपाल.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...13/12/2018... के विरुद्ध ...मुन्नालाल...।...प्रदीप दुबे..।..... के अभिभाषक द्वारा पुनस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांकहै। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p>	
31-1-2019	<p>आवेदन को खारिज कर आदेश का पुनः शी 2 के मादक उप-1 3 नें रेस्टोरेशन पर खुला। बिनालेपतां रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक R-4463/2018/भोपाल/भू.रा. पुनः नम्बर पर लिखा जाता है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्तुतकार अध्यक्ष</p>